न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील/एल.आर./190/2000/जयपुर</u>

1. ठाकुर श्री अनन्तनाथ जी विराजमान स्थान देह दिगम्बर जैन मन्दिर सांगी जी की नसियां बास बदनपुरा जयपुर जरिये सचिव अशोक कुमार पुत्र गुलाबचन्द जैन निवासी जयपुर

–अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी मोहनसिंह मेहता मृतक जरिये वारिसान–
1/1. श्रीमती सुशीला पत्नी मनोहरलाल पुत्री मोहनसिंह
1/2. श्रीमती शोभा पत्नी शान्तिकुमार पुत्री मोहनलाल
1/3. श्रीमती आशा पत्नी नरेन्द्र पुगलिया पुत्री मोहनसिंह
1/4. गोतम मेहता पौत्र मोहनसिंह
1/5. दीपक मेहता पौत्र मोहनसिंह
1/6. श्रीमती नीतू पत्नी सुशील पौत्री मोहनसिंह
समस्त निपवासी मकान नम्बर 1294 तातेडखाना हाउस बाबा हरिशचन्द मार्ग, किशनपोल बाजार जयपुर
2. लालचन्द पुत्र रामचन्द्र
3. गुलाबचन्द पुत्र रामचन्द्र
4. रमेशचन्द पुत्र रामचन्द्र
5. पूरणचन्द पुत्र रामचन्द्र
6. काना पुत्र रामचन्द्र
7. मैनी देवी पुत्री रामचन्द्र
समस्त जाति माली निवासी बास बदनपुरा तहसील व जिला जयपुर
8. श्रीमती सन्तोष पुत्री रामचन्द्र पत्नी मंगलचन्द जाति माली निवासी कुम्हारो का मोहल्ला नाहरी का नाका, शास्त्रीनगर, जयपुर
9. अनूपचन्द पुत्र गोमती लाल मृतक जरिये वारिसान–
9/1. नेमीचन्द जैन
9/2. सुरेन्द्रकुमार जैन पुत्रगण अनूपचन्द जैन
समस्त जाति महाजन निवासी जयपुर

–प्रत्यर्थीगण

<u>एकलपीठ</u>
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री हिंमाशु सोगनी, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री पूर्णाशंकर दशौरा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 05.8.2020

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–12–1994 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, जयपुर ने नामान्तरण संख्या–56 दिनांक 27–06–1965 से ग्राम बदनपुरा स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 232 एवं 233 की भूमि के खातेदार गोमतीलाल के उपकृषक स्वर्गीय चून्नीलाल के पुत्र रामचन्द्र के नाम नामान्तरण खोला। रामचन्द्र द्वारा उक्त भूमि के 1/2 हिस्से का विक्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से करने पर प्रेम देवी पत्नी मोहनसिंह के नाम में नामान्तरण संख्या–61 दिनांक 27–01–1967 को स्वीकृत किया। उक्त दोनों नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर, जयपुर के निर्णय दिनांक 26–12–1969 से मियाद बाहर होने से खारिज कर दी तथा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी खारिज कर हुई। तत्पश्चात् ठाकुरजी श्री अनन्त नाथ जी एवं गोमतीलाल के पुत्र अनूपचन्द व रतनलाल द्वारा मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की, जिसे राजस्व मण्डल पारित निर्णय से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इस पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 19–12–1979 से विवादित भूमि गोमतीलाल के वारिसान के नाम स्वीकृत कर दिया। तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध रामचन्द्र व प्रेम

देवी ने जिला कलेक्टर के समक्ष अपील पेश कीख जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19–09–1989 द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 129 दिनांक 19–12–1979 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार, जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 21–02–1994 से विवादित आराजी में रामचन्द्र के अधिकार मानते हुए उसके स्वर्गवास हो जाने के कारण उसके वारिसान मु0 मुन्नी बेवा रामचन्द्र, लालचन्द, गुलाबचन्द, रमेशचन्द्र, पूरणचन्द, काना पुत्रान रामचन्द, मैना व सन्तोष पुत्रीयां रामचन्द जाति माली निवासी मदनपुरा के पक्ष में हिस्सा 1/2एवं रामचन्द्र द्वारा पूर्व में विक्रय की गयी भूमि हिस्सा 1/2 (जो नामान्तरकरण संख्या 61 द्वारा प्रेमदेवी पत्नी मोहनसिंह के पक्ष में स्वीकुत हुई) को प्रेमदेवी के नाम अंकित करने के आदेश पारित किये। तहसीलदार, जयपुर द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण व अनूपचन्द की ओर से अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील संख्या 21/1994 प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 03–12–1994 से खारिज कर दी। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे राजस्व मण्डल के एकतरफा निर्णय दिनांक 22–10–1999 से स्वीकार की गयी। उक्त निर्णय के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रत्यर्थीगण प्रेमदेवी व अन्य द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 एवं आदेश 9 नियम 13जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया, जिसे राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–01–2004 से स्वीकार कर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये गये। उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 एवं आदेश 9 नियम 13जाप्ता दीवानी पर पारित आदेश के विरूद्ध ठाकुर अनन्तनाथ जी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका संख्या–5120/2004 प्रस्तुत की गयी। इसी प्रकार नजरसानी संख्या–15/1992 में पारित निर्णय दिनांक 22–09–1994 के विरूद्ध अपीलार्थी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका

संख्या 4603/1995 प्रस्तुत की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–01–2007 से दोनों रिट याचिकाओं निस्तारण करते हुए अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने के निर्देश मण्डल को प्रदत्त किये।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी वास्तव में अपीलार्थी ठाकुर जी अनन्तनाथ जी की खातेदारी की भूमि है परन्तु राजस्व अभिलेख में मन्दिर के पंच श्री गोमतीलाल पुत्र मीठालाल जैन का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज है, जिसकी व्यवस्था मन्दिर की प्रबन्ध समिति अपने मुलाजिमों से कराती है। गोपाल पुत्र भूरा मन्दिर का माली था जिसने विवादित आराजी की काश्त में बिना इजाजत प्रबन्ध समिति रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल माली को शरीक कर लिया, जिसकी वजह से अपीलार्थी ने दिनांक 25–09–1963 को विवादित आराजी के सम्बन्ध में बेदखली का दावा गोपाल पुत्र भूरा व रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसके विचाराधीन रहते ही रामचन्द्र ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत नामान्तरकण संख्या 56 दिनांक 27–6–1965 को अपने नाम तस्दीक करवा लिया। उनका कथन है कि दिनांक 05–11–1966 को उपरोक्त वाद संख्या 500/1965 में सभी पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया तथा प्रतिवादगण ने विवादित भूमि को वादी अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि होना स्वीकार करते हुए यह तय किया कि प्रतिवादी संख्या–2 रामचन्द ने इस भूमि पर अमरूद, सीताफल, नीबू, पपीता, गुलाब इत्यादि फल फूलों के पेड लगाये थे, इन पेडों की कीमत के बहामी राजीनामें में तय करके 2500/–रूपये वादी से

प्रतिवादी ने वसूल पा लिये तथा वादी अपीलार्थी को विवादित आराजी पर कब्जा करा दिया तथा विचारण न्यायालय द्वारा दावा में राजीनामें के अनुसार डिक्री दिनांक 5–11–1966 को पारित कर दी। उनका कथन है कि राजीनामें के आधार पर पारित डिक्री के विरूद्ध रामचन्द्र ने राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–03–1974 से निरस्त कर दी तथा राजस्व मण्डल द्वारा भी निगरानी को खारिज कर दिया। उनका कथन है कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि नियमित वाद के विचाराधीन होने एवं नियमित वाद में पारित किये गये निर्णय के पश्चात् नामान्तरकण की समरी कार्यवाही में कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में नियिमत वाद दिनांक 25–09–1963 को प्रस्तुत कर दिया तथा उक्त वाद के विचाराधीन रहने के दौरान दिनांक 27–6–1965 को नामान्तरकरण संख्या 56 तस्दीक किया, जो प्रारम्भ से ही अवैध था एवं उसके पश्चात् पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या–61 स्वीकृत किया, जो दौराने दावा किया गया विक्रय होने से प्रभावशून्य है। उनका कथन है कि पूर्व में रामचन्द्र ने अपने आपको विवादित आराजी का उपकृषक होना जाहिर करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत नामान्तरकरण का आदेश प्राप्त किया तथा अब तहसीलदार जयपुर ने खसरा गिरदावरी को जमाबन्दी मानते हुए रामचन्द्र के वारिसान को विवादित आराजी का खातेदार कृषक घोषित करने का आदेश दिनांक 21–2–1994 को पारित किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 व 19 के तहत कौन व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है यह निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार उक्त अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट के आईटम नम्बर–5, 35–ए से 36–ए के तहत मात्र सहायक जिलाधीश को प्राप्त है। तहसीलदार को ऐसा कोई आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार ही नही है। उनका कथन है कि विवादित आराजी का रामचन्द्र न तो कृषक है एवं ना ही उपकृषक है। विवादित आराजी ठाकुरजी अनन्तनाथ जी की भूमि है, जिस पर किसी

भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। उनका कथन है कि प्रत्यर्थीगण ने अपने आपको विवादित भूमि का खातेदार कृषक घोषित करवाने हेतु कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया। उनका कथन है कि स्वयं रामचन्द्र ने दिनांक 5–11–1966 के राजीनामें में अपीलार्थी को विवादित भूमि का खातेदार कृषक होना स्वीकार कर चुका है एवं उसने स्वयं को कभी उपकृषक होना जाहिर नहीं किया है। रामचन्द्र की स्वीकारोक्ति के विपरीत अधीनस्थ न्यायालयों ने उसके नाम नाम नामान्तरकरण खोलने के अपीलाधीन निर्णय पारित किये है, जो पूर्णतयाः अवैध है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की ओर प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 1984 आरआरडी पेज 185, 1992 आरआरडी पेज 598, 1997 आरआरडी पेज 182, 1996 एससीसी 5 पेज 618, 1980 आरआरडी पेज 646, 1987 आरआरडी पेज 97, 2007 आरआरडी पेज 797, 1994 आरआरडी पेज 659, 2001 आरआरटी II पेज 1236 व पेज 1015, 2002 आरआरटी पेज 990, 2003 आरआरटी III पेज 1213, 2008 आरआरटी II पेज 936, 1994 एआईआर एससी पेज 1446 एवं 1977 एआईआर एससी पेज 2012 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का उल्लेख किया।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19(1) के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के वक्त जिनका नाम उस समय प्रचलित वार्षिक रजिस्टरों में खुदकाश्त का कृषक या किसी भूमि पर उपकृषक दर्शाया गया है तो उसे खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जायेगे। उनका कथन है कि तहसीलदार ने

सम्वत् 1998 से 2000 की खसरा गिरदावरी में उपकृषक दर्ज होना एवं सम्वत् 2012 से 2035 की खसरा गिरदावरी में विवादित आराजी पर उनके पक्षकार का कब्जा प्रमाणित होना माना गया है, जिसके आधार पर उनके पक्षकार विवादित आराजी पर स्वतः ही खातेदार कृषक हो जाते है। उनका कथन है कि माननीय उच्चतम् न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के अनके निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अगर कोई विपरीत तथ्य सामने नहीं आता है तो ऐसी अवस्था में खसरा गिरदावरी में जिनका नाम उपकृषक में दर्ज है उस पर भरोसा करना न्यायोचित है। उनका कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार व अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ने यह माना है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनयिम जिस समय लागू हुआ उस से ये वार्षिक रजिस्टर नहीं बनते थे और खसरा गिरदावरी पर ही भरोसा किया जाता था और रामचन्द्र विवादित आराजी पर उपकृषक के रूप में दर्ज है तथा ठाकुर अनन्तनाथ जी की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि उस समय वार्षिक रजिस्टर जमाबन्दी जयपुर जिले में बनती थी। इसके अलावा ठाकुर अनन्तनाथ जी की तरफ से यह भी नहीं बताया गया है कि वे इस भूमि पर खुदकाश्त करते हो या रामचन्द्र उस भूमि पर काबिज नहीं हो। उनका कथन है कि डिक्री में यह निर्देशित नहीं है कि ठाकुर अनन्तनाथ जी के नाम से इन खसरा नम्बरों का नामान्तरकण खोल दिया जावे तो केवल राजीनामें के आधार पर और ऐसा राजीनामा पब्लिक पालिसी के विरूद्ध होने से धारा 23 संविदा अधिनियम के तहत वोईड है तथा जिसे न्यायालय ने अपनी डिक्री का हिस्सा नहीं बनाया ऐसे राजीनामे और राजीनामें के आधार पर ठाकुर अनन्तनाथ जी के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता। उनका कथन है कि रिजम्पशन आफ जागीर एक्ट की धारा 9 व 10 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 13 व 15 के अन्तर्गत ही अगर कोई व्यक्ति स्वयं ही काश्त करता हो तो ही उसे खातेदार माना जा सकता है, केवल राजीनामें के आधार पर रामचन्द्र के कहने से ही विवादित आराजी पर ठाकुर अनन्तनाथ जी को खातेदारी अधिकार प्राप्त

नहीं होते है। उनका कथन है कि तथाकथित पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में कोई आदेश प्रस्तुत नहीं हुआ है तथाकथित पट्टे पर सक्षम अधिकारी के हस्तक्षार नहीं है और मोहर भी नहीं है तथा इस तथाकथित पट्टे की क्रियान्विति में इस पट्टे का इन्द्राज व इन पंचों का नाम रेवेन्यू रजिस्टर में खुदकाश्त के रूप में कहीं पर भी दर्ज नहीं है। पट्टा वर्ष 1946 में जारी होना बताया है जबकि वर्ष 1987 (मिसल हकीयत सन् 1930) ओर चकबन्दी एन्ट्री वर्ष 1932 में भी गोमतीलाल को पंच की हैसियत से नहीं बल्कि व्यक्तिगत हैसियत से खातेदारी दर्ज है इसलिए सन् 1946 में यह तथाकथित पट्टा जारी होना अपने आप में सन्देहास्पद है। इस तथाकथित पट्टे में अंकित पंचों की ओर से इस प्रकार की साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी है कि वो स्वयं इस भूमि पर काश्त करते हो। उनका कथन है कि ठाकुर अनन्तनाथ जी का नाम किसी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। सम्वत 1998 से 2000 एवं सम्वत 2012 से 2035 की खसरा गिरदावरी की प्रतियॉ तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत हुई हैं जिनमें रामचन्द्र के पिता चुन्नीलाल और रामचन्द्र का नाम उपकृषक व वास्तविक काश्तकार के रूप में दर्ज है। इसलिये तहसीलदार द्वारा यह माना कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड से रामचन्द्र के पिता चुन्नी लाल उपकृषक के रूप में काबिज होकर काश्त करने का पर्याप्त सबूत है, तहसीलदार का यह भी मानना था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सम्वत् 2012 लागू हुआ, उस समय कोई जमाबन्दी तैयार नहीं की जाती थी इसलिये तत्कालीन समय खसरा गिरदावरी में किये गये अंकन को उपकृषक के रूप में स्वीकार किया जाता था। यहॉ यह भी बताना उचित समझते है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट, 1956 की धारा 112 से 114 तक यह बताया गया है कि किस प्रकार से रिकार्ड ऑफ राईटस् बनाये जायेगे। लेकिन इन धाराओ के तहत् बनाये जाने वाले रिर्काड ऑफ राईटस् बनाये जायेगे तब तक के लिये धारा 126 में यह प्रावधान किया गया कि जब तक धारा 112 के तहत् नक्शें और फिल्डबुक बने और धारा 114 के तहत् रिर्काड ऑफ राईटस बने तब तक

पुराने उस समय प्रचलित (Existing) रिकार्ड पर ही भरोसा किया जायेगा इसलिये भी जब तक जमाबन्दी नहीं बनती तब खसरा गिरदावरी के आधार पर वास्तविक काश्तकार और सब टेनेन्ट रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल को सही प्रकार से चिन्हित किया गया। उनका कथन है कि जहॉ तक 1946 के एक तथाकथित पट्टे में किन्ही पंचों के नाम पर जयपुर रियासत द्वारा पट्टा जारी करने की बात आई है और उस आधार पर मन्दिर ने अपना खातेदारी अधिकार जताने का प्रयास किया तो तहसीलदार ने स्पष्ट किया है कि उस तथाकथित पट्टा होना और पंचों के नाम की जगह एक गोमतीलाल के नाम पर खातेदारी होना के तथ्य पर उनके द्वारा गौर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से स्पष्ट हुआ है कि जहॉ तक राजस्व रिकार्ड का प्रश्न है उसमें मन्दिर अथवा मन्दिर के पंचों के नाम से राजस्व रिर्काड में कोई अॅकन नहीं है, कट–ऑफ–डेट को केवल गोमतीलाल को स्वयं के व्यक्तिगत नाम से ही इस भूमि का खातेदार बताया गया है और रामचन्द्र के पिता चुन्नीलाल और बाद में रामचन्द्र के नाम से खसरा गिरदावरी में उपकृषक बताया गया है। उनका कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और माननीय रेवेन्यु बोर्ड के कई फैसलों के आधार पर यह माना है कि जहॉ जमाबन्दी नहीं है वहॉ खसरा गिरदावरी के आधार पर उपकृषक काश्तकार के नाम में नामान्तरण दिया जा सकता है। इस आधार पर तहसीलदार, जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 21–02–1994 द्वारा गोमतीलाल के वारिस अनूपचन्द व रतनलाल के पक्ष में खोला गया नामान्तरण संख्या–129 दिनांक 19–12–1979 को खारिज किया और पूर्व में रामचन्द्र और प्रेम देवी के पक्ष में क्रमशः खोले गये नामान्तरण संख्या– 56 व 61 को सही ठहराया और रामचन्द्र की मृत्यु होने के कारण उसके वारिसान के पक्ष में वादग्रस्त खसरों के 1/2 हिस्से का एवं शेष 1/2 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रेता श्रीमती प्रेम देवी के नाम नामान्तरण खोलने का आदेश दिया, जिसका नामान्तकरण सं. 151 दिनांक 15–03–1994 है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक

स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 1996 एससीसी I पेज 612, 1995 जेटी (9) पेज 173, 1993 आरआरडी पेज 431, 1959 आरआरडी पेज 173, 1977 आरआरडी पेज 81, 1988 आरआरडी पेज 133, 2006 आरआरडी पेज 73, 1983 डब्ल्यूएलएन (यूसी) पेज 476, 2003 आरआरटी I पेज 543, 1998 आरआरडी पेज 1331991 एससीसी II पेज 41 एवं 2000 एससीसी III पेज 652 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां, पारित निर्णय एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय रिट याचिका संख्या–5120/2004 एवं रिट याचिका संख्या 4603/1995 में पारित निर्णय दिनांक 15–01–2007 का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, जयपुर ने नामान्तरण संख्या–56 दिनांक 27–06–1965 से ग्राम बदनपुरा स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 232 एवं 233 की भूमि के खातेदार गोमतीलाल के उपकृषक स्वर्गीय चून्नीलाल के पुत्र रामचन्द्र के नाम नामान्तरण खोला। रामचन्द्र द्वारा उक्त भूमि के 1/2 हिस्से का विक्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से करने पर प्रेम देवी पत्नी मोहनसिंह के नाम में नामान्तरण संख्या–61 दिनांक 27–01–1967 को स्वीकृत किया। तत्पश्चात् प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार,

जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 21–02–1994 से विवादित आराजी में रामचन्द्र के अधिकार मानते हुए उसके स्वर्गवास हो जाने के कारण उसके वारिसान मु0 मुन्नी बेवा रामचन्द्र, लालचन्द, गुलाबचन्द, रमेशचन्द्र, पूरणचन्द, काना पुत्रान रामचन्द, मैना व सन्तोष पुत्रीयां रामचन्द जाति माली निवासी मदनपुरा के पक्ष में हिस्सा 1/2एवं रामचन्द्र द्वारा पूर्व में विक्रय की गयी भूमि हिस्सा 1/2 (जो नामान्तरकरण संख्या 61 द्वारा प्रेमदेवी पत्नी मोहनसिंह के पक्ष में स्वीकुत हुई) को प्रेमदेवी के नाम अंकित करने के आदेश पारित किये।

8. प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 21–02–1994 में राजस्व मण्डल द्वारा धारा 19 की आपत्ति का भी निराकरण करते हुए अंकित किया कि सम्वत् 1998 से सम्वत् 2000 की खसरा गिरदावरी में रामचन्द्र के पिता चुन्नीलाल का नाम उपकृषक कॉलम में दर्ज है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व भी रामचन्द्र के पिता चुन्नीलाल उपकृषक के रूप में विवादित भूमि पर काबिज थे एवं सम्वत् 2012 से सम्वत् 2035 की खसरा गिरदावरी भी रामचन्द्र के भूमि पर काबिज होने के पर्याप्त प्रमाण देती है। तहसीलदार के इस आदेश दिनांक 21–02–1994 के विरूद्ध ठाकुर अनन्तनाथ जी विराजमान तथा अनूपचन्द ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय के यहॉ अपील प्रस्तुत की। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय ने भी अपने फैसले में न्यायिक दृष्टान्तों 1993 आर.आर.डी. पेज 431 व 1992 आर.आर.डी. पेज 114 पर भरोसा करते हुये यह निर्णित किया कि जहॉ जमाबन्दी तैयार नहीं की गई है तो ऐसी स्थिति में खसरा गिरदावरी सम्पत् 2012 से पूर्व की महत्वपूर्ण राजस्व रिकार्ड है जिसके आधार पर यदि खसरा गिरदावरी में उपकृषक दर्ज है तो उसे खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं इस आधार पर तहसीलदार महोदय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 21–02–1994 से सहमति व्यक्त करते हुये अपील को निरस्त किया।

9. ठाकुर जी श्री अनन्त नाथ जी व अनूप चन्द ने उक्त आदेशों से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील माननीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा एकतरफा रूप से आदेश दिनांक 22–10–1999 द्वारा स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को निरस्त कर दिया गया था, परंतु प्रत्यर्थीगण प्रेम देवी और स्व. रामचन्द्र के विधिक वारिस श्रीमती संतोष के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 29–01–2004 द्वारा पूर्व में पारित उक्त एकपक्षीय आदेश दिनाक 22–10–1999 को निरस्त कर दिया एवं द्वितीय अपील को पुनः नम्बर पर ले लिया गया।

10. प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि ठाकुर अनन्तनाथ जी द्वारा एक दावा 500/1963 बाबत् बेदखली हेतु गोपाल व रामचन्द्र के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें पक्षकारों के मध्य हुये तथाकथित राजीनामें के आधार पर दिनांक 05–11–1966 को डिक्री पारित की गई, जो कि इस प्रकार हैः–

> ''यह मुकदमा आज वास्ते इन्खलाय कतई रूबरू एम.पी. कल्ला बहाजरी श्री राजुलाल श्री गोपाल, रामचन्द्रर निजामीन मुद्दईरूबर मिनजामिन मुदायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि बरूये राजीनामा दावा वादी आराजी खसरा नम्बर 229/1, 230/1, 323, 233, 229, 230 वादी के हक में डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी रामचन्द्र का फलफूलों का इजारा दिसम्बर सन् 1968 तक रहेगा और वादी सन् जनवरी 1969 से जिसको ठेके देगा उसको दे सकेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना बर्दाश्त करेगा।''

11. इस डिक्री की इजराय में उपखण्ड अधिकारी, जयपुर ने तहसीलदार जयपुर को अपने आदेश दिनाक 01–04–1985 में यह निर्देश दिये कि

डिक्री दिनांक 05.11.1966 के अनुसार इजराय कर प्रार्थी ठाकुर श्री अनन्तनाथ जी का नाम इन्द्राज कर भिजवाये। इस आदेश के विरूद्ध रामचन्द्र व प्रेम देवी नें रिविजन नम्बर 169/85 और शब्बीर खॉ ने रिविजन नम्बर 83/85 राजस्व मण्डल के समक्ष पेश की, जिन्हे मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 02–01–1992 द्वारा स्वीकार करते हुये उपखण्ड अधिकारी के आदेश 01–04–1985 को निरस्त कर दिया। ठाकुर अनन्तनाथ जी ने इस निर्णय के विरूद्ध दो नजरसानी मण्डल में प्रस्तुत की, जिसे भी मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22–09–1994 द्वारा खारिज कर दी। रामचन्द्र व प्रेम देवी द्वारा प्रस्तुत रिविजन नम्बर 169/85 में मण्डल द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 02–01–1992 व नजरसानी में पारित निर्णय दिनांक 22–09–1994 से व्यथित होकर ठाकुर अनन्तनाथ जी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 4603/1995 प्रस्तुत की गई।

12. यह कि उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–01–2004 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे रिट याचिका संख्या–5120/2004 प्रस्तुत की थी और इजराय कार्यवाही में मण्डल द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध प्रस्तुत रिट याचिका संख्या–4603/1995 पूर्व से ही विचाराधीन थी। उक्त दोनें रिटों की सुनवाई करते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक ही निर्णय निर्णय दिनांक 15–01–2007 द्वारा उक्त दोनों रिट याचिकाऐं निस्तारित की। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अनुसार अभी भूमि पर टाईटल डिसाईड होना बाकी है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय रिट के माध्यम से तथ्यों के प्रश्न पर कोई निर्णय पारित नहीं कर सकते थे, इसलिये उन्होंने राजस्व मण्डल को यह निर्देश दिये है कि सभी पक्षकारों को सुना जावे, इससे सम्बंधित समस्त रिकार्ड को मगॅवाया जाकर अपील का निर्णय करते समय राजस्व मण्डल आदेश दिनांक 27–04–1976 में वर्णित टिपणी (observation) तथा 1966 में पक्षकारों के बीच हुये राजीनामें व कन्सेंट डिक्री के प्रभाव तथा रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट के

तहत् कटऑफ डेट का ध्यान में रखते हुये राजस्व मण्डल अपील का निर्णय करें।

13. रिजम्पशनस् ऑफ जागीरस् एक्ट, 1952 के लागू होने के साथ ही कृषकों के खातेदारी अधिकारों के लिये एक क्रान्तिकारी बदलाव हुआ जिसको फिर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में बढ़ाया गया। इन अधिनियमों के जरिये जो वास्तविक काश्तकार थे और वास्तविक रूप से काश्त कर रहे थे उनको ही खातेदारी अधिकार दे दिये गये। ऐसे खातेदारी अधिकार जो कि उत्तराधिकार को प्राप्त होगें और जिनको वे अन्तरित भी कर सकेगें। इस सम्बन्ध में रिजम्पशन ऑफ जागीरस् एक्ट, 1952 जो दिनांक 18-02-1952 से लागू हुआ, उस समय राजस्व रिकार्ड में गोमतीलाल का खातेदार होना और खसरा गिरदावरी में रामचन्द्र के पिता चुन्नीलाल और रामचन्द्र का नाम उपकृषक व वास्तविक काश्तकार के रूप में दर्ज है। ठाकुर अनन्तनाथ जी का नाम किसी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। सम्वत 1998 से 2000 एवं सम्वत 2012 से 2035 की खसरा गिरदावरी की प्रतियॉ तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत हुई हैं जिनमें रामचन्द्र के पिता चुन्नीलाल और रामचन्द्र का नाम उपकृषक व वास्तविक काश्तकार के रूप में दर्ज है। इसलिये तहसीलदार ने यह माना कि इस राजस्व रिर्काड से रामचन्द्र के पिता चुन्नी लाल का इस वादग्रस्त भूमि पर उपकृषक के रूप में काबिज होकर काश्त करने का पर्याप्त सबूत है, तहसीलदार जयपुर का यह भी मानना था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सम्वत् 2012 लागू हुआ उस समय कोई जमाबन्दी तैयार नहीं की जाती थी इसलिये तत्कालीन समय खसरा गिरदावरी में किये गये अॅकन को उपकृषक के रूप में स्वीकार किया जाता था। यहॉ यह भी उल्लेख करना उचित समझते है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट, 1956 की धारा 112 से 114 तक यह बताया गया है कि किस प्रकार से रिकार्ड ऑफ राईटस् बनाये जायेगे। लेकिन इन धाराओ के तहत् बनाये जाने वाले रिर्काड ऑफ राईटस् बनाये जायेगे तब

तक के लिये धारा 126 में यह प्रावधान किया गया कि जब तक धारा 112 के तहत् नक्शें और फिल्डबुक बने और धारा 114 के तहत् रिर्काड ऑफ राईटस बने तब तक पराने उस समय प्रचलित (Existing) रिकार्ड पर ही भरोसा किया जायेगा इसलिये भी तक जमाबन्दी नहीं बनती तब खसरा गिरदावरी के आधार पर वास्तविक काश्तकार और सब टेनेन्ट रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल को सही प्रकार से चिन्हित किया गया। जहॉ तक 1946 के एक तथाकथित पट्टे में किन्ही पंचों के नाम पर जयपुर रियासत द्वारा पट्टा जारी करने की बात आई है और उस आधार पर मन्दिर ने अपना खातेदारी अधिकार जताने का प्रयास किया तो तहसीलदार ने स्पष्ट किया है कि उस तथाकथित पट्टा होना और पंचों के नाम की जगह एक गोमतीलाल के नाम पर खातेदारी होना के तथ्य पर उनके द्वारा गौर नहीं किया जा सकता है। इससे स्पष्ट हुआ है कि जहॉ तक राजस्व रिकार्ड का प्रश्न है उसमें मन्दिर अथवा मन्दिर के पंचों के नाम से राजस्व रिर्काड में कोई अॅकन नहीं है, कट–ऑफ–डेट को केवल गोमतीलाल को स्वयं के व्यक्तिगत नाम से ही इस भूमि का खातेदार बताया गया है और रामचन्द्र के पिता चुन्नीलाल और बाद में रामचन्द्र के नाम से खसरा गिरदावरी में उपकृषक बताया गया है। तहसीलदार ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और माननीय रेवेन्यु बोर्ड के कई फैसलों के आधार पर यह माना है कि जहॉ जमाबन्दी नहीं है वहॉ खसरा गिरदावरी के आधार पर उपकृषक काश्तकार के नाम में नामान्तरण भरा जा सकता है। इस आधार पर तहसीलदार जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 21–02–1994 द्वारा गोमतीलाल के वारिस अनूपचन्द व रतनलाल के पक्ष में खोला गया नामान्तरण संख्या–129 दिनांक 19–12–1979 को खारिज किया और पूर्व में रामचन्द्र और प्रेम देवी के पक्ष में क्रमशः खोले गये नामान्तरण संख्या– 56 व 61 को सही ठहराया और रामचन्द्र की मृत्यु होने के कारण उसके वारिसान के पक्ष में वादग्रस्त खसरों के 1/2 हिस्से का एवं शेष 1/2 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रेता श्रीमती प्रेम देवी के नाम नामान्तरण खोलने

का आदेश दिया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार और अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ने यह माना कि तत्कालीन समय में सम्वत् 1998 से 2012 के खसरा गिरदावरी में रामचन्द्र के पिता चुन्नीलाल उपकृषक के रूप में दर्ज थे। अपीलार्थी यह कथन लेकर के नहीं आये है कि ठाकुर अनन्तनाथ जी किसी रेवेन्यू रिकार्ड जमाबन्दी या खसरा गिरदावरी में खुदकाश्त, काश्तकार या उपकाश्तकार दर्ज हो और ना ही ऐसा कोई सबूत ही प्रस्तुत किया गया है और उनका सम्बन्ध इस भूमि से होना कहीं से भी साबित नहीं है।

14. प्रस्तुत प्रकरण में गोमतीलाल इस भूमि पर स्वयं काश्त करता हो यह बात स्वंय गोमतीलाल कहकर नहीं लाया और ना ही उसके वारिसों ने यह बात कभी कही हैं। अपीलार्थी ने स्वयं ने अपने दावा संख्या–500/1963 में स्वयं माना है कि रामचन्द्र इस भूमि पर काश्त कर रहा था। राजस्थान लैण्ड रिफोर्मस् एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीरस् एक्ट 1952 दिनांक 18–02–1952 को लागू हुआ। इसलिये रिजम्पशन ऑफ जागीरस् एक्ट की धारा 9 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत् चुन्नीलाल और रामचन्द्र जो कि इस भूमि पर वास्तविक रूप से दिनांक 18–02–1952 को काश्तकार थे वे कानूनी रूप से खातेदार हो गये। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक खसरा गिरदावरी पर भरोसा किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक निर्णय **Deepa vs State Of Rajasthan & Ors on 15 December, 1995 Supreme Court of India Equivalent citations: 1996 SCC (1) 612, JT 1995 (9) 173** में निम्न प्रकार का सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि–

> **"4. Shri Sharma, appearing for the appellant, contended, and rightly, that respondent himself having accepted the appellant as tenant in the first proceeding, a stand different from that could not be taken in the present proceeding. He then urged that Khasra Girdawari, which has now been put on record, clearly shows that the name of the appellant had been**

recorded as cultivator by Sambat 2012, because of which the land could not be regarded as khudkasht of the jagirdar which would make section 10 of the Jagirs Act inoperative, and so, the respondent's name could not be recorded as khatedar tenant. As to this submission, the learned counsel for this respondent submitted that though the land was shown in the Khasra Girdawari under appellant's cultivation, that was not as a tenant but as an employee of the respondent. This stand is untenable because from the impugned judgment of the Board of Revenue in the present proceeding it appears that the case of this respondent was that Deepa's father had been given the land for cultivation on "Panti Basis", that is, on share basis, which would clearly show that the land was tenanted to Deepa's father and in lieu of cash he was to pay in kind.

15. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 05–04–1961 को धारा 19 (1–ए) जोड़ा गया और उसके अन्तर्गत उन सभी काश्तकारों को जिनको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये थे उन्हे खातेदारी अधिकार देने के आदेश हुआ है। इस सम्बंध में केवल यह देखना था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू होने के बाद निर्धारित तिथि अर्थात 05–04–1961 तक अगर वास्तविक काश्तकार है तो उसे खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये जिसका इन्द्राज मात्र तहसीलदार द्वारा रिकार्ड में कर दिया जावेगा। इसी आशय का सिद्धान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने न्यायिक दृष्टान्त **State of Rajasthan Vs Prem Shankar RRT 2003 (1) page 543** में और **Nand Lal Vs Nazim Khan RRD 1998 page 133** में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा प्रतिपादित किया गया है।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***Buddha Vs Amilal 1991 Supp. (2) SCC 41*** और ***Bir singh & ors. Vs. Pyare Singh & Ors. (2000) 3 SCC 652*** में यहॉ तक विनिश्चय किया है कि अगर किसी का नाम

राजस्व रिकार्ड में खुदकाश्त के रूप में दर्ज है कि किन्तु वह उस भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज नहीं है उस हालत में भी उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ठाकुर अनन्तनाथ जी ने अथवा उनके पंचों ने कभी भी यह नहीं बताया कि ठाकुर अनन्तनाथ जी या पंचों का नाम राजस्व रिकार्ड में खुदकाश्त के रूप में दर्ज हो और वाद संख्या 500/63 में तो स्वयं ठाकुर अनन्तनाथ जी की तरफ से यह कहा गया है कि उस भूमि पर तो रामचन्द्र कब्जा काश्त में था। इस प्रकार से वादग्रस्त आराजी सही प्रकार से तहसीलदार ने रामचन्द्र के नाम खातेदारी खोलने का इन्द्राज किया है। ठाकुर अनन्तनाथ जी का या उसके पंचों का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

17. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा समय समय पर बहस के दौरान जयपुर काश्तकारी अधिनियम 1945 के अनुसरण मे पट्टा जारी होने का हवाला दिया जाता रहा है, परंतु उसके संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही ऐसे किसी आधार को प्रस्तुत अपील मे आधार बनाया गया, ऐसी स्थिति मे ना तो कोई साक्ष्य सरसरी कार्यवाही के अपील मे नहीं जा सकती है और ना ही उसको साक्ष्य मे लिया जा सकता है, इसके विपरीत जयपुर काश्तकारी अधिनियम 1945 की धारा 7 के अनुसरण मे तत्कालीन सरकार द्वारा जारी स्टेडिंग आदेश संख्या 3 के क्लोज 11 मे स्पष्ट रूप से यह प्रतिरोध लगाया गया था कि धारा 7 के तहत भूमि का आवंटन किसी भी मंदिर, मस्जिद इत्यादि के नाम नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति मे जो गैर कानूनी एवं अप्रमाणित तथाकथित पट्टे के आधार पर जो अधिकार होना बताया जा रहा है, वह गैरकानूनी एवं बेबुनियाद है। ठाकुर अनन्तनाथ जी मन्दिर के पंचों के पक्ष में जारी पट्टे के आधार पर ठाकुर अनन्तनाथ जी स्वयं को खातेदार होना बताते है। इस सम्बधं में भी यह स्पष्ट है कि यह तथाकथित पट्टा जारी करने के सम्बंध में कोई आदेश प्रस्तुत नहीं हुआ है, तथाकथित पट्टे पर सम्बंधित अधिकारी के

हस्ताक्षर नहीं है और इस तथाकथित पट्टे की क्रियान्विति में इस पट्टे का इन्द्राज और इन इन पंचों का नाम रेवेन्यु रजिस्टर्स में खुदकाश्त के रूप में कहीं पर भी दर्ज नहीं है इसलिये इस प्रकार से यह पट्टा किसी भी प्रकार से विश्वसनीय नहीं है। यह कि इस तथाकथित पट्टे में अंकित पंचों की और से इस प्रकार की साक्ष्य भी नहीं है कि वो स्वयं इस भूमि पर काश्त करते हो। इसलिये इस प्रकार की समस्त भूमि जो कि ठाकुर अनन्तनाथ जी के नाम हो या उसके पंचों के नाम हो जिसे वह स्वयं काश्त नहीं करते हों, वह राजस्थान रिजम्पशन ऑफ जागीरस् एक्ट में राज्य सरकार द्वारा रिजम्प कर ली गई। इस सम्बंध में राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त **Tara & Ors. vs State Of Rajasthan & Anr. on 15 July, 2015** में यह प्रतिपादित किया कि–

> **"48. In order to summarize the answers, the questions framed by by the Court and our decisions on the questions are stated as below:-**
> **"Question no.(i) .....**
>
> **Question no.(ii) What are the rights of the Hindu Idol (deity) in the lands held by them in the name of its Shebaits/Pujari on the date of resumption of such Jagir, under the provisions of the Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagir Act, 1952 ?**
>
> **Answer:- The Hindu Idol (deity) in the lands held by them in the name of its Shebait/Pujari on the date of resumption of such Jagir under the provisions of the Jagirs Act of 1952 did not have any rights except in khudkasht land cultivated by Shebait/Pujari either by themselves or by hired labour or servant engaged by them for the benefit of the expenses of the temple including sewa puja. All those lands let out by them to the tenants or sub-tenants were resumed by the Jagirs Act of 1952 and that the Hindu idol (deity) lost all the rights in such jagir lands.**

Question no.(iii) Whether such a Jagir land/Muafi held by the Shebait/Pujari of Hindu Idol (deity) in their name after the date of resumption of the Jagir (Muafi) can be alienated by them ? If so, what is the effect ?

Answer:- The Jagir land/Muafi held by the Shebait/Pujari of Hindu Idol(deity) in their name after the date of resumption of the Jagir (Muafi) by the Jagirs Act of 1952 will not give them any right nor they could alienate the land. The alienation made by them of such land which was resumed/acquired by the State Government and for which claims were made and settled before the Jagir Commissioner, would be null and void and will have no effect."

18. प्रस्तुत प्रकरण में यह तथाकथित पट्टा विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इसकी क्रियानिविति में राजस्व रिकार्ड में कोई अंकन नहीं है अन्यथा भी चाहे ठाकुर अनन्त नाथ जी हो या चाहे उसके पुजारी/पंच के नाम पर पट्टे के आधार पर ठाकुर अनन्तनाथ जी की होना बताया जावें, इन दोनों ही परिस्थितियों में जब यह भूमि पुजारी/पंच द्वारा स्वंय काश्त नहीं की जा रही है और ना ही इस सम्बंध में कोई साक्ष्य है कि वे स्वयं काश्त करते हो और ना ही ये भूमि उनके कब्जे है और ना उनका नाम रेवेन्यु रजिस्टर में खुदकाश्त के रूप में दर्ज है तो यह भूमि स्वंतः सरकार में रिज्युम हो गई और वास्तविक रूप से काश्त करने वाले उपकृषक रामचन्द्र में धारा 19 राज. काश्तकारी अधि. के तहत् निहित हो गई।

19. प्रस्तुत प्रकरण में जब द्वितीय अपील प्रस्तुत हुई तब ठाकुर अनन्तनाथ जी और असल खातेदार गोमतीलाल के वारिस अनूपचन्द दोनों ने अपीलांट के रूप में यह अपील प्रस्तुत की थी। अनूपचन्द की मृत्यु के बाद उसके वारिस अपीलान्ट के तौर पर अपील में नहीं आये और केवल ठाकुर अनन्तनाथ जी ही इस अपील में अपीलान्ट हैं। अनूपचन्द के

वारिसानों को केवल रेस्पोन्डेन्ट बनाया गया है। प्रश्न यह है कि क्या ठाकुर अनन्तनाथ जी को इस कार्यवाही में अकेले अपीलान्ट के रूप में हिस्सा लेने और द्वितीय अपील चलाये रखने की इजाजत् है। सन् 1965 में तहसीलदार महोदय ने नामान्तरणकरण संख्या- 56 तस्दीक किया था और रामचन्द्र के नाम पर नामान्तरण स्वीकार किया तब ठाकुर अनन्तनाथ जी ने ए.डी.एम. के यहॉ आपत्ति प्रस्तुत की जो मियाद के आधार पर खारिज हो गई उसके बाद प्रथम अपील प्रस्तुत हुई, उसमें भी यह माना गया कि मियाद के बिन्दु पर उनकी आपत्ति सही खारिज हुई थी। इन कार्यवाहीयों में गोमतीलाल के पुत्र शामिल नहीं थे लेकिन जब ठाकुर अनन्तनाथ जी ने रेवेन्यु बोर्ड में रिविजन पेश की तो असल खातेदार गोमतीलाल का पुत्र अनूपचन्द भी रिविजन में बतौर रिविजनकर्ता शामिल हुआ। राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 27-04-1976 में स्पष्ट माना कि ठाकुर अनन्तनाथ जी ने मियाद बाहर आपत्ति प्रस्तुत की है और इस सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सही है। राजस्व मण्डल ने अपने आदेश के पैरा 4 में लिखा है :-**"In this view of the matter the appeals were rightly rejected as time barred."** इस प्रकार से राजस्व ने अपने आदेश द्वारा स्पष्ट कर दिया कि इस कार्यवाही में अधीनस्थ न्यायालयों ने सही प्रकार से मियाद के आधार पर ठाकुर अनन्तनाथ को सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया है। लेकिन क्योंकि असल खातेदार स्व0 गोमतीलाल के वारिसों को सुनवाई का अवसर नहीं मिला और रिविजन में गोमतीलाल के वारिस अनूपचन्द भी याचिकाकर्ता बन गया था। राजस्व मण्डल ने तहसीलदार द्वारा रामचन्द्र के पक्ष में खोला गया नामान्तरण संख्या-56 व प्रेम देवी के नाम पर खोला गया नामान्तरण संख्या-61 निरस्त किया और गोमतीलाल के वारिसों को सुनकर निर्णय देने का आदेश दिया था। ठाकुर अनन्तनाथ को सुनवाई का अवसर देने का आदेश माननीय रेवेन्यू बोर्ड ने अपने निर्णय में नहीं दिया है। इसलिये नामान्तरण के सम्बंध में सुनवाई केवल रामचन्द्र और गोमतीलाल के वारिसों के मध्य तक ही सीमित हो गई। गोमतीलाल के

वारिसों के बिना ठाकुर अनन्तनाथी जी का कोई अपना स्वयं का अस्तित्व इस कार्यवाही में भाग लेने का नहीं रहा क्योंकि राजस्व मण्डल ने उनको अपनी बात कहने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। तहसीलदार के आदेश दिनांक 21–02–1994 व अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के आदेश दिनांक 03–12–1994 के आदेश के विरूद्ध गोमतीलाल के वारिसों द्वारा अपील जारी नहीं रखने के कारण अन्तिम हो गये हैं। ठाकुर अनन्तनाथ जी को इस कार्यवाही में हिस्सा लेने और अपना पक्ष प्रस्तुत रखने के अधिकार मियाद के आधार पर पहले ही समाप्त हो चूका है और इस सम्बंध में राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 27–4–1976 अन्तिम है, ठाकुर अनन्तनाथ जी अकेले इस अपील जारी रख कर अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं।

20. राजस्व मण्डल के समक्ष रिविजन नम्बर 214/74 एल.आर. जयपुर व 215/74 एल.आर. जयपुर की सुनवाई में यह तथ्य भी स्पष्ट हुआ है कि ठाकुर अनन्तनाथ ने गोमतीलाल के पुत्र अनुपचन्द जो मन्दिर ठाकुर अनन्तनाथ मन्दिर के पंच नहीं थे उनको व्यक्तिगत रूप से इस वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना और उनको व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनकर सुनवाई का अवसर देना स्वीकार किया है। रिजम्पशन ऑफ जागीरस् एक्ट व राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 के लागू होने के समय राजस्व रिकार्ड में **''गोमतीलाल पुत्र मीठलाल**'' को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया हुआ है पंच की हैसियत से उसे खातेदार दर्ज नहीं किया हुआ है। इस प्रकार से ठाकुर अनन्तनाथ जी ने राजस्व रिकार्ड में गोमतीलाल की व्यक्तिगत हैसियत को स्वीकार किया और गोमतीलाल के वारिसों को ठाकुर अनन्तनाथ मन्दिर के पंच की हैसियत से नहीं बल्कि व्यक्तिगत हैसियत से खातेदारी अधिकार होना स्वीकार किया है। इस प्रकार से ठाकुर अनन्तनाथ जी ने पंच के मार्फत अपने खातेदारी अधिकार होने को त्याग (Relinquish) कर दिया । ठाकुर अनन्त नाथ जी का यह कृत्य यहॉ तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि जब दिनांक 19–12–1979 के

आदेश द्वारा गोमतीलाल के वारिसों अनूपचन्द व रतनलाल के नाम पर नामान्तरणकरण संख्या– 129 दर्ज किया तो ठाकुर अननतनाथ जी ने इस पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की और ना ही उस आदेश के विरूद्ध अपील की (हॉलाकि रामचन्द्र के द्वारा अपील करने पर जिलाधीश महोदय ने उस आदेश को निरस्त कर नामान्तरण संख्या–129 को निरस्त कर पुनः सुनवाई का आदेश दिया)। उक्त से भी स्पष्ट है कि गोमतीलाल के वारिसों की व्यक्तिगत हैसियत से खातेदारी अधिकार को ठाकुर अनन्तनाथ ने स्वीकार किया और पंचों के माध्यम से अपने अधिकार को त्याग दिया। इस कारण से भी ठाकुर अनन्तनाथ जी के अनुसार उनके जो भी तथाकथित अधिकार क्लेम करते थे वे उन्हे अब इस अपील में उठाने से Estopped है।

21. प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि ठाकुर अनन्तनाथ जी ने सन् 1963 में एक दावा गोपाल व रामचन्द्र के विरूद्ध बेदखली का इस आश्य का प्रस्तुत किया कि गोपाल को फल फूल लगाने का कार्य करना बताना और गोपाल के द्वारा रामचन्द्र को इसमें शामिल करना और बाद में रामचन्द्र के अकेले के द्वारा इस भूमि के कब्जे मे रहना और खाली करने का कहने के बावजदु भी उसके द्वारा खाली नहीं करना। और यह भी कहा गया है कि पहले गोमतीलाल मन्दिर का पंच था और उसकी मृत्यु के बाद भॅवरलाल मन्दिर का पंच हो गया। रामचन्द्र ने जवाबदावा देकर विरोध किया है लेकिन दिनांक 05–11–1966 को एक बाहरी तथाकथित राजीनामा होना बताया गया जिसे न्यायालय में तस्दीक किया गया। ठाकुर अनन्तनाथ जी द्वारा यह जोर दिया जा रहा है कि इस राजीनामें के द्वारा रामचन्द्र ने यह स्वीकार किया कि ठाकुर अनन्तनाथ जी इस भूमि के खातेदार है और इसलिये ठाकुर अनन्तनाथ जी को खातेदार के रूप में अंकित किया जावे और रामचन्द्र का इस भूमि से कोई सरोकार नहीं है और रामचन्द्र अब इस भूमि पर अपना खातेदारी अधिकार जताने से एस्टोप्ड (Estopped) है।

22. उक्त तथाकथित राजीनामा में निम्न इबारत इस सम्बंध में लिखी हुई है :–

" 1. यह कि आराजी खसरा नम्बर 229/1, 230/1, 232, 233, 229, 230 वादी की मकबुजा खातेदारी की है।"

और आगे मद संख्या– 2 की अन्तिम पंक्ति में लिखा है – **".....अब आज से वादी का ही कब्जा व हक खातेदारी काश्त वादी की ही रहेगी।"**

इसके अलावा अन्य इबारत भी लिखी गई है लेकिन इस राजीनामें पर विचारण न्यायालय से जो निर्णय व डिक्री हुई है वो निम्न प्रकार हैः– **"यह मुकदमा आज वास्ते इन्खलाय कतई रूबरू एम.पी.कल्ला बहाजरी श्री राजुलाल श्री गोपाल, रामचन्द्रर निजामीन मुद्दईरूबर मिनजामिन मुदायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि बरूये राजीनामा दावा वादी आराजी खसरा नम्बर 229/1, 230/1, 323, 233, 229, 230 वादी के हक में डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी रामचन्द्र का फलफूलों का इजारा दिसम्बर सन् 1968 तक रहेगा और वादी सन् जनवरी 1969 से जिसको ठेके देगा उसको दे सकेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना बर्दाश्त करेगा।"**

इस प्रकार न्यायालय ने अपने आदेश व डिक्री में यह नहीं कहा कि रामचन्द्र ने ठाकुर अनन्तनाथ जी को इस कृषि भूमि का खातेदार होना स्वीकार कर लिया या ठाकुर अनन्तनाथ जी इस भूमि के खातेदार है या उनको खातेदार घोषित किया जाता है। इस प्रकार से जिस न्यायालय में यह राजीनामा प्रस्तुत किया उसने ही इस इबारत के अनुसार डिक्री पारित नहीं की और ठाकुर अनन्तनाथ जी को इस भूमि पर खातेदारी अधिकार होना नहीं लिखा है। उक्त तथाकथित राजीनामें में रामचन्द्र की और से कोई भी अधिवक्ता प्रस्तुत नहीं हुआ और ना ही उसकी शिनाख्त किसी अधिवक्ता के द्वारा की गई बल्कि एक प्राईवेट व्यक्ति रामनाथ द्वारा उसकी पहचान की गई होना जाहिर होता है।

तथाकथित राजीनामें के विरूद्ध रामचन्द्र द्वारा विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई और उसकी और से इस तथाकथित कोम्प्रोमाईस डिक्री के विरूद्ध आदेश 9 नियम 13 सी.पीसी. के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र और उसकी रिविजन मुख्यतः केवल इसी आधार पर खारिज पर की गई क्योंकि उस समय सहमति से पारित डिक्री को केवल निरस्तीकरण के दावे के द्वारा ही निरस्त किया जा सकता था। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि तत्समय रामचन्द्र को सही लीगल सलाह नहीं मिली। इसलिये अपीलांट विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि इस राजीनामें से रामचन्द्र एस्टोप्ल (Estoppel) होता है, वह एस्टोप्ड (Estopped) नहीं हुआ है क्योंकि इस तथाकथित राजीानामें को किसी भी न्यायालय ने मान्यता नहीं दी है तथा जहॉ फ्रॉड (Fraud) हुआ है वहॉ फ्रॉड (Fraud) के मामलों में एस्टोप्ल का सिद्धान्त (Rule of Estoppel) लागू नहीं होता है।

23. यह कि इस तथाकथित राजीनामें से पहले ही तहसीलदार ने दिनांक 27-06-1965 को रामचन्द्र के पक्ष में नामान्तरण संख्या- 56 स्वीकृत कर दिया था अन्यथा भी सरकार, तहसीलदार, राजस्व मण्डल ने रामचन्द्र के उक्त तथाकथित राजीनामें में किये गये कथनों से एस्टोप्ड नहीं है वे कानून से बंधें हुये हैं और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उनका राजकीय दायित्व है जिसका उन्होनें पालन किया है अपीलान्ट स्वंय ने 1976 में राजस्व मण्डल में रामचन्द्र के इस तथाकथित राजीनामें के एडमिशन का बिन्दू नही उठाया है इसलिये इस तथाकथित राजीनामें का कोई महत्व नहीं है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार ऐसा कोई भी एग्रीमेन्ट जो कि राज्य की पब्लिक पोलिसी को लागू करने में अड़चन डालता हो या विफल करता हो, ऐसा एग्रीमेन्ट वोईड है। रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट, 1952 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के माध्यम से राज्य ने यह पब्लिक पॉलिसी लागू की, जिसके अनुसार वास्तविक खेती करने वाले को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो और जो वास्तविक काश्तकार की परिभाषा में

नहीं आते वे खातेदारी अधिकार से वंचित कर दिये गये और ऐसा एग्रीमन्ट जो इस पब्लिक पॉलिसी को विफल करता है वो शुन्य है। इस प्रकार यह राजीनामा धारा 23, भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है इसलिये वोईड है और इस कारण से अनलॉफुल (Unlawful) है। आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. जो कि केस में कोम्प्रोमाईज किस प्रकार से लागु हो उसकी व्याख्या करता है। किसी भी दावें में क्या राजीनामा हो सकेगा और किस प्रकार से होगा और उसे किसी प्रकार से रिकार्ड किया जावेगा यह सभी सी.पी.सी. के आदेश 23 नियम 3 व उसके एक्सप्लेनेशन 3 में दिया हुआ है। क्योंकि यह एग्रीमन्ट अनलॉफुल है और इसके आधार पर डिक्री पारित नहीं हो सकती है और इसलिये मौजुदा प्रोसिडिंग पर इसका कोई असर नहीं होता है। इस दावे में रामचन्द्र को एक लाभ यह है कि अपीलार्थी ठाकुर अनन्तनाथ जी ने रामचन्द्र का इस भूमि पर कब्जा होना और रामचन्द्र के द्वारा इस भूमि का काश्त किया जाना स्वीकार किया हुआ है।

24. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक वास्तविक काश्तकार के हितो की रक्षार्थ के लिये और उनके लाभ के लिये और उनके द्वारा काश्त की जा रही भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जाने के लिये बनाया गया है। उक्त अधिनियम को लागू करना राज्य की पब्लिक पोलिसी थी और ऐसा कोई भी कोम्प्रोमाईज जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधाना के लागू करने में बाधा पहुॅचाते हो वे सब अवैध है और वोईड है। प्रस्तु प्रकरण में रामचन्द्र पुत्र श्री चुन्नीलाल विवादित आराजी का वास्तविक काश्तकार होना राजस्व अभिलेख से साबित है और ठाकुर अनन्त नाथ जी द्वारा किये गये उक्त वाद में भी रामचन्द्र को इस भूमि पर काश्त व कब्जे में होना बताया गया है और सन् 1965 में रामचन्द्र के पक्ष में धारा 19 के तहत् नामान्तरणकरण संख्या– 56 दिनांक 27–06–1965 खोला भी जा चुका था। इसलिये रामचन्द्र किसी भी प्रकार से Trespasser नहीं था और ठाकुर अनन्तनाथ जी का इस वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार का टेनेन्सी राईट नहीं होने से यह

दावा किसी भी प्रकार से चल नहीं सकता था, फिर भी रामचन्द्र से इस तथाकथित राजीनामें के आधार पर गैरकानूनी रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की गई है। खातेदारी अधिकार धारा 19 के तहत् तहसीलदार द्वारा अथवा धारा 88 के तहत् सहायक कलेक्टर द्वारा ही दिया जा सकता है। रामचन्द्र जैसे प्राईवेट व्यक्ति के पास कोई क्षैत्राधिकार नहीं था कि वह कोई खातेदारी अधिकार ठाकुर अनन्तनाथ जी को दे सके। यह राजीनामा छल से किया गया था और इसका एकमात्र उद्देश्य राज्य की उस पब्लिक पॉलिसी को विफल करना था। इसलिये यह राजीनामा विधि विरूद्व होने से धारा 23 भारतीय संविदा अधिनियम के तहत् वोईड है और आदेश 23 नियम 3 के एक्सप्लेनेशन के अन्तर्गत ऐसे वोईड राजीनामें अनलॉफुल (Unlawful) होने से उस पर किसी प्रकार की कोई क्रियान्विति नहीं हो सकती है। कोई वोईड अथवा अनलॉफुल (Unlawful) एग्रीमेन्ट है उसे वोईड घोषित करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Prem Singh Vs Birbal** के केस में अभिनिर्धारित किया–

> ***"Section 31 of the Specific Relief Act, 1963 thus, refers to both void and voidable document. It provides for a discretionary relief. When a document is valid, no question arises of its cancellation. When a document is void ab initio, a decree for setting aside the same would not be necessary as the same is non-est in the eye of law, as it would be a nullity."*** The Hon'ble Supreme Court further held - "**{See also Sounder (Executrix of the Will of Rose Maud Gallie, Deceased) vs. Anglia Building Society [1971] 1 AC 1004} In Balvant N. Viswamitra & Ors. vs. Yadav Sadashiv Mule (Dead) Through LRS. & Ors. [(2004) 8 SCC 706],** this Court opined that a void decree can be challenged even in execution or a collateral proceeding holding: ***"The main question which arises for our consideration is whether the decree passed by***

the trial court can be said to be "null" and "void". In our opinion, the law on the point is well settled. The distinction between a decree which is void and a decree which is wrong, incorrect, irregular or not in accordance with law cannot be overlooked or ignored. Where a court lacks inherent jurisdiction in passing a decree or making an order, a decree or order passed by such court would be without jurisdiction, non est and void ab initio. A defect of jurisdiction of the court goes to the root of the matter and strikes at the very authority of the court to pass a decree or make an order. Such defect has always been treated as basic and fundamental and a decree or order passed by a court or an authority having no jurisdiction is a nullity. Validity of such decree or order can be challenged at any stage, even in execution or collateral proceedings."

25. प्रस्तुत प्रकरण में जहॉ तक ठाकुर अनन्तनाथ जी का प्रश्न है – उपरोक्त वर्णितानुसार ठाकुर अनन्तनाथ जी का Cut off Date को राजस्व रिकार्ड में ना तो स्वयं के नाम से ना ही पंचों के मार्फत उनका खातेदार होना राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो तथाकथित पट्टा 1946 का पेश किया है वह विश्वसनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में इस वादग्रस्त भूमि पर ठाकुर अनन्तनाथ जी का विवादित आराजी में कोई अधिकार स्वत्व या हित नहीं है। इसी प्रकार जहॉ तक गोमतीलाल का प्रश्न है– गोमतीलाल के द्वारा कभी भी यह क्लेम नहीं किया कि वह इस वादग्रस्त भूमि पर स्वयं काश्त करता हो और जो स्वयं काश्त नहीं करता उसकी खातेदारी की कृषि भूमि पर जो वास्तविक रूप से काश्त करता है उसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। गोमतीलाल के वारिसान अनूपचन्द की मृत्यु के उपरान्त इस द्वितीय अपील में अपीलान्ट के रूप में अपनी उपस्थिति नहीं दी है अर्थात वे इस

द्वितीय अपील को चलाने में इच्छुक नहीं होने से उनका कोई अधिकार हक या स्वत्व या हित खातेदारी के सम्बंध में नहीं रहे है। तत्पश्चात् रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल व उसके वारिसों व प्रेम देवी का प्रश्न है – तहसीलदार, जयपुर ने बाद जांच यह माना है कि रामचन्द्र पुत्र चुन्नी लाल और उससे पूर्व उसके पिता चुन्नीलाल इस विवादित आराजी पर वास्तविक कृषक और उपकृषक थे तथा तत्कालीन समय पर जयपुर में जमाबन्दी संधारण नहीं होती थी तथा खसरा गिरदावरी के आधार पर तहसीलदार द्वारा उन्हें उपकृषक चिन्हित करना सही माना है। इसलिये निर्विवाद रूप से तहसीलदार, जयपुर द्वारा यह अंकित करना कि रामचन्द्र इस भूमि पर वास्तविक उपकृषक काश्त थे और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

26. उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–12–1994 एवं तहसीलदार, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–02–1994 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य